वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कन्या महाविद्यालय

तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

सूचना एवं प्रवेश विवरणिका

INFORMATION & ADMISSION BROCHURE

VEERANGANA RANI DURGAVATI GOVERNMENT GIRLS' COLLEGE

Takhatpur, District - Bilaspur (C.G.) 495300,

E-mail : 125govtgirlscollege@gmail.com

विकासखण्ड स्तरीय
युवा उत्सव -2024
तखतपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

Takhatpur,CT,भारत
Bilaspur Mungeli Road, Takhatpur, Takhatpur, 495330, CT, भारत
Lat 22.132439, Long 81.867102
09/30/2024 12:12 PM GMT+05:30

GPS Map Camera
Takhatpur, Chhattisgarh, India
4vj8+xvq, Takhatpur, Chhattisgarh 495330,

तखतपुर
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आयोजन तिथि - 13 एवं 14 सितम्बर
अतिथियों एवं खिलाड़ियों का स्वागत है।

तखतपुर
जिला-बिलासपुर
सत्र- 2024-25

Shot on OnePlus
Powered by Quad Camera

तखतपुर
CHHATTISGARH ADOLESCENT HEALTH ACADEMY

बाल विवाह

रानी दुर्गावती

वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कन्या महाविद्यालय

तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

सूचना एवं प्रवेश विवरणिका

INFORMATION & ADMISSION BROCHURE

VEERANGANA RANI DURGAVATI GOVERNMENT GIRLS' COLLEGE

Takhatpur, District - Bilaspur (C.G.) 495300,

E-mail : 125govtgirlscollege@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्राचार्य की कलम से	–
2.	महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची	–
3.	महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय	01
4.	महाविद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ	03
5.	महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रम	04
6.	शुल्क विवरण	05
7.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)	06
8.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय में उपलब्ध विषय समूह की सूची	11
9.	महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी मार्गदर्शक नियम	14
10.	महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम	16
11.	आचरण संहिता	26
12.	महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून	28
13.	रैगिंग संबंधी परिनियम	29

प्राचार्य की कलम से

प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं आगंतुकों,

वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कन्या महाविद्यालय, तखतपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। यह संस्थान नारी शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रति पूर्णतः समर्पित एक प्रतिष्ठित एवं नवोदित संस्था है । छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान कर उन्हें एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक के रूप में विकसित करना हमारा प्रमुख ध्येय है। वीरांगना रानी दुर्गावती के अदम्य साहस, आत्मबल एवं दूरदर्शिता से प्रेरित होकर, यह महाविद्यालय छात्राओं के भीतर नेतृत्व क्षमता, सृजनशीलता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करने के लिए सतत प्रयासरत है। हम मानते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, समाजोत्थान एवं राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम बहुविषयक, लचीले एवं कौशल उन्मुख हैं, जो समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप छात्राओं को तैयार करते हैं। महाविद्यालय में कार्यरत हमारे अनुभवी, समर्पित एवं ऊर्जावान प्राध्यापकगण छात्राओं के ज्ञान, कौशल, मूल्यों और आत्मविश्वास को विकसित करने में सहायक हैं। हमारे महाविद्यालय में शिक्षण पठन-पाठन, छात्राओं के व्यक्तित्व विकास, नैतिकता एवं सामाजिक मूल्यों के उन्नयन के प्रति भी समर्पित है।

आप सभी नवागंतुक छात्राओं का इस ज्ञानयात्रा में हार्दिक स्वागत है। आपके उज्जवल भविष्य हेतु ढेरों शुभकामनाएँ - आशा है कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए इस मंच का भरपूर उपयोग करेंगी और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की वाहक बनेंगी।

डॉ. शुभदा रहालकर
प्राचार्य

महाविद्यालय के कार्यालयीन कर्मचारी/अधिकरियों की सूची

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	डॉ. शुभदा रहालकर	प्राचार्य
2.	श्री सुरेश कुमार पटेल,	सहायक प्राध्यापक – प्राणीशास्त्र
3.	डॉ. रश्मि जैन	सहायक प्राध्यापक – भौतिक शास्त्र
4.	श्रीमती कामिनी सिंह	सहायक प्राध्यापक – गणित
5.	सुश्री अनुश्री पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक – समाजशास्त्र
6.	सुश्री नाहिद खान	सहायक प्राध्यापक – वाणिज्य
7.	सुश्री ऋचा जांगड़े	सहायक प्राध्यापक – हिन्दी
8.	श्रीमती संध्या पैकरा	सहायक प्राध्यापक – अर्थशास्त्र
9.	सुश्री मंजू बरैहा	सहायक प्राध्यापक – राजनीति शास्त्र
10.	श्री शशांक सिंह राठौर	सहायक प्राध्यापक – रसायन शास्त्र
11.	डॉ. विकास चंदानी	सहायक प्राध्यापक – अंग्रेजी
12.	डॉ. मनोज मिंज	सहायक प्राध्यापक – वाणिज्य
13.	सुश्री अर्चना मरकाम	सहायक प्राध्यापक – वनस्पति शास्त्र
14.	श्री धीरज कुमार	ग्रंथपाल
15.	श्री शोभाराम टाईगर	क्रीड़ा अधिकारी
16.	श्री ईश्वर प्रसाद यादव	सहायक ग्रेड–2
17.	श्री विजय शंकर गायकवाड़	प्रयोगशाला तकनीशियन
18.	श्री अशोक कुमार पात्रे	प्रयोगशाला तकनीशियन
19.	श्री नरसिम्हा राव	भृत्य

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कन्या महाविद्यालय, तखतपुर इस क्षेत्र में नारी शिक्षा एवं सशक्तिकरण का एक सशक्त प्रतीक है । महाविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2021–22 में की गई । इस महाविद्यालय की स्थापना ग्रामीण एवं शहरी परिवेश की युवतियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान शैक्षणिक उत्कृष्टता, सांस्कृतिक मूल्यों एवं समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

वीरांगना एवं स्वतंत्रता सेनानी रानी दुर्गावती के नाम पर स्थापित यह महाविद्यालय साहस, संकल्प एवं नेतृत्व के भाव को आत्मसात करता है। यहाँ कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप सत्र 2024–25 से स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों में बौद्धिक परिपक्वता के साथ नैतिक विकास को भी बढ़ावा देना है, जिससे वे आत्मविश्वासी, दक्ष एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी नागरिक बन सकें। महाविद्यालय में समर्पित, ऊर्जावान एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल पुस्तकालय तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विविध योजनाएं उपलब्ध है।

विद्यार्थियों को सह–पाठ्यक्रम एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया जाता है, जिससे उनमें नवाचार, सामाजिक सेवा एवं नेतृत्व कौशल विकसित हो सके। हमारा संस्थान समावेशी शिक्षा, निरंतर सुधार एवं छात्र सशक्तिकरण के संकल्प के साथ निरंतर अग्रसर है, ताकि हमारी छात्राएं बदलते वैश्विक परिदृश्य में सफलतापूर्वक अपना स्थान बना सके।

उद्देश्य एवं मिशन

दृष्टि :–

नारी शिक्षा के माध्यम से उनके बौद्धिक, नैतिक एवं नेतृत्व गुणों का विकास कर समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक तैयार करना ।

मिशन :–

- छात्राओं को समावेशी, गुणवत्तापूर्ण एवं समान अवसर प्रदान करना।
- आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता एवं जीवनपर्यंत अध्ययन हेतु प्रेरित करना।
- अनुशासन, ईमानदारी एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना।
- कौशल आधारित शिक्षा एवं करियर उन्मुख कार्यक्रमों द्वारा स्वावलंबन को बढ़ावा देना।

शैक्षणिक परिदृश्य :–

- एनईपी 2020 के अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लागू।
- वार्षिक प्रणाली की तृतीय वर्ष की कक्षाएं पूर्ववत संचालित ।
- सेमेस्टर आधारित मूल्यांकन एवं आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली।
- पुस्तकालय, ई–लर्निंग संसाधन, प्रयोशालाएं एवं अनुभवी संकाय उपलब्ध।

महाविद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ

1. महिला शिक्षा की दिशा में सतत् अग्रसर : कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन की सुविधा।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप पाठ्यक्रमों का क्रियान्वयन।
3. नियमित कक्षाएं, निरंतर मूल्यांकन, ट्यूटोरियल कक्षाएं एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्राओं हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा।
4. सभी विषयों हेतु स्थायी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है।
5. 3000 से अधिक पुस्तकों के नवीनतम संस्करणों से सुसज्जित पुस्तकालय।
6. विद्यार्थियों के लिए स्पोकन इंग्लिश वैल्यू एडेड कोर्स की सुविधा।
7. विविध खेलों के लिए खेल उपकरण उपलब्ध है तथा छात्राओं को खेलों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
8. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विविध क्लब क्रियाशील है, जैसे :-
   - ✦ रीडिंग एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ क्लब
   - ✦ कल्चरल क्लब
   - ✦ ईको एंड सस्टेनेबिलिटी क्लब
   - ✦ साइंस क्लब
   - ✦ प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट क्लब
9. सभी प्राध्यापक नियमित नियुक्ति प्राप्त है एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG PSC) के माध्यम से चयनित है।
10. डॉ. शुभदा रहालकर पूर्णकालिक प्राचार्य के रूप में पदस्थ हैं, जिन्हें 40 से अधिक वर्षो का शिक्षण एवं शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है।

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रम

सत्र 2024-25 से पाठ्यक्रम NEP-2020 के अनुसार संचालित है				
क्र.	संकाय	पाठ्यक्रम	उपलब्ध विषय	सीटों की संख्या
1.	कला	बी.ए.	1. राजनीति विज्ञान 2. अर्थशास्त्र 3. समाजशास्त्र	120
2.	विज्ञान	बी.एस.सी. (बायो)	1. प्राणी शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. वनस्पति शास्त्र	75
		बी.एस.सी. (गणित)	1. रसायन शास्त्र 2. भौतिक विज्ञान 3. गणित	45
3.	वाणिज्य	बी.कॉम.	सभी अनिवार्य विषय	90

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित और 29 जुलाई 2020 को जारी की गई एक व्यापक शिक्षा नीति है, जो स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से बनाई गई थी।

क्या है NEP-2020 ?

भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है (पहली : 1968, दूसरी : 1986)। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को शिक्षार्थी – केन्द्रित, समावेशी, बहु–विषयक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है।

NEP-2020 को लागू करने का उद्देश्य (Why It was Implemented)

1. 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार सुधार : तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और कौशल आधारित रोजगार के अनुरूप शिक्षा प्रणाली का निर्माण।
2. स्कूल ड्रॉपआउट कम करना : लचीली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना।
3. शिक्षा की गुणवत्ता और समानता बढ़ाना : ग्रामीण, पिछड़े और वंचित वर्गो तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना।
4. वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल : भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराना।

शुल्क विवरण

शासकीय शुल्क	शिक्षण शुल्क	--
	प्रायोगिक शुल्क	20.00
	प्रवेश शुल्क	03.00
	लैब शुल्क	05.00
	कुल योग	**28.00**
अशासकीय शुल्क	शारीरिक कल्याण	200.00
	वि.वि.छात्र संघ प्रवेश	01.25
	वि.वि.यु.ग.शुल्क	01.25
	वि.वि.छात्र कल्याण शुल्क	13.00
	वि.वि.ग्रंथालय शुल्क	25.00
	निर्धन छा.क.निधि	20.00
	महाविद्यालय विकास	300.00
	सम्मिलित निधि	34.00
	सोशल गैदरिंग	30.00
	वाचनालय/कामन	60.00
	चिकित्सा	10.00
	बीमा	04.00
	रेड क्रॉस	40.00
	महा.आंत. मु. परीक्षा शुल्क	100.00
	अवधान राशि	60.00
	सायकल स्टैंड शुल्क	250.00
	शुल्क पत्रक	10.00
	परिचय पत्र	80.00
	प्रवेश विवरणिका एवं प्रपत्र	100.00
	जनभागीदारी शुल्क	500.00
	कुल योग:-	**1838.50/-**
	महायोग:-	**1866.50/-**

(शब्दों में:-एक हजार आठ सौ छैसठ रूपये पचास पैसा मात्र)

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. प्रदेश में सत्र 2024–25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन पाठ्यक्रमों में लागू किया गया है?

उत्तर – प्रदेश में सत्र 2024–25 से समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.कॉम., बी.एस–सी., बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहें है।

प्रश्न 2. सेमेस्टर से तात्पर्य क्या है?

उत्तर – सेमेस्टर का तात्पर्य प्रति 06 माह की अध्ययन–अध्यापन की अवधि है। किसी पाठ्यक्रम संदर्भित निर्धारित पाठ्यचर्या का शैक्षणिक कार्य (टीचिंग लर्निंग) एवं उसके मूल्यांकन कार्य सम्पादन हेतु छह /06 माह की अवधि का निर्धारण किया जाना सेमेस्टर कहलाता है, जहाँ एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह/90 दिवस शैक्षणिक कार्य (टीचिंग लर्निंग) किया जाना सुनिश्चित होता है।

प्रश्न 3 क्रेडिट से क्या तात्पर्य है।

उत्तर – सैद्धांतिक कोर्स हेतु एक लेक्चर/पीरियड/कालखण्ड/घण्टा का अध्यापन प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। अर्थात सेमेस्टर के अंतर्गत कुल 15 घण्टे/कालखण्ड का किया गया टीचिंग लर्निंग कार्य एक क्रेडिट होगा। यद्यपि प्रायोगिक कोर्स/फिल्ड कार्य/प्रोजेक्ट कार्य हेतु 02 कालखण्ड/पीरियड/घण्टा का अध्यापन/प्रशिक्षण प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। अर्थात सेमेस्टर अंतर्गत कुल 30 घण्टे/कालखण्ड का किया गया प्रायोगशाला/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क का कार्य एक क्रेडिट होगा।

प्रश्न 4. CBCS से क्या तात्पर्य है?

उत्तर – CBCS का पूर्ण रूप है:– चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (Choice Based Credit System) है जिसके अंतर्गत एक संकाय का विद्यार्थी दूसरे संकाय का विषय जो क्रेडिट पद्धति पर आधारित है को अध्ययन हेतु चयन कर सकता है

प्रश्न 5. बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास (Multiple Entry & Multiple Exit) का क्या अर्थ है?

उत्तर – बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है जिसमे विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार प्रवेश एवं निकास कर सकता है परन्तु उसे उक्त स्नातक के पाठ्यक्रम को अधिकतम 07 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। 07 वर्ष में पूर्ण न करने की स्थिति में वह पाठ्यक्रम से बाहर हो जाएगा। अर्थात किसी विद्यार्थी द्वारा बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास का लाभ अधिकतम

07 वर्ष के अन्तर्गत ही लिया जा सकता है।

प्रश्न 6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत DSC, DSE, GE, AEC, SEC, VAC का क्या तात्पर्य है?

उत्तर – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहु–संकायी एवं बहु विषयी पाठ्यक्रम पद्धति अंतर्गत उपयोग में किये जा रहे उक्त शब्दों की व्याख्या निम्नानुसार है–

DSC - Discipline Specific Course (विषय विशिष्ट पाठय्चर्या) – किसी विषय/डिसीप्लीन को परिभाषित करने वाला मूल पाठय्चर्या को ही DSC कहा जाता है। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अर्न्तगत पूर्व की भाँति विद्यार्थियों द्वारा चयनित तीन विषय/डिसीप्लीन के DSC का अध्ययन प्रति सेमेस्टर किया जाना है।

DSE- Discipline Specific Elective (विषय विशिष्ट ऐच्छिक) – किसी विषय/डिसीप्लीन के संबंधित विशेष विषय शाखा की पाठ्यचर्या को DSE कहा जाता है। इसके अंतर्गत इन्टर डिसीप्लीनरी पाठ्यचर्चा भी सम्मिलित किये जाते है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थियों द्वारा चयनित इच्छाकृत विषय/डिसीप्लीन के DSE का अध्ययन तृतीय सेमेस्टर से किया जा सकेगा।

GE - Generic Elective (सामान्य ऐच्छिक) – मूल संकाय के अतिरिक्त किसी संकाय के विषय / डिसीप्लीन के कोर्स को ही GE कहा जाता है। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अर्न्तगत विद्यार्थियों द्वारा अन्य संकाय के किसी डिसीप्लीन के कोर्स का चयन GE के रूप में किया जायेगा। अर्थात कला संकाय के विद्यार्थी विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी कला एवं वाणिज्य संकाय के तथा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी कला एवं विज्ञान संकाय के कोर्स GE के रूप में चयन कर सकते हैं। यद्यपि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा GE का चयन किया जाना अनिवार्य है, तथापि तृतीय सेमेस्टर से GE का चयन करना अथवा नहीं करना उनकी इच्छा पर आधारित होगा।

AEC- Ability Enhancement Course (योग्यता अभिवृद्धि पाठ्यचर्या) – सामान्य योग्यता में यथेष्ट वृद्धि कर उपयुक्त स्नातक की योग्यता प्रदर्शित करने वाला कोर्स को AEC कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यत: विभिन्न भाषा एवं पर्यावरण के ज्ञान सम्बन्धित पाठ्यचर्या सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थियों द्वारा प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक 2–2 क्रेडिट के AEC का अध्ययन किया जायेगा जिसमें पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य संप्रेषणीय भाषा सम्मिलित हैं।

SEC- Skill Enhancement Course (कौशल अभिवृद्धि पाठ्यचर्या) – उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाला कोर्स को SEC कहा जाता है। प्रावधानानुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित कौशल अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमश: द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर में अध्ययन किया जावेगा।

VAC- Value Added/Addition Course (मूल्य वर्धित पाठ्यचर्या) – उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाला कोर्स को VAC कहा जाता है। प्रावधानानुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में

संचालित मूल्य अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में अध्ययन किया जावेगा।

प्रश्न 7. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्ष का हो गया है?

उत्तर – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 एवं 4 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम दोनों का प्रावधान है, जो पूर्णतः विद्यार्थी के इच्छा पर आधारित होगा। यदि विद्यार्थी चाहे तो वह 03 वर्ष की निर्धारित कोर्स अध्ययन करने के पश्चात् निर्धारित पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर पाठ्यक्रम छोड़ सकता है। 04 वर्ष पूर्ण करने की कोई बाध्यता नहीं हैं। यदि विद्यार्थी आगे अध्ययन चाहता है तो वह चौथे वर्ष (7वें एवं 8वें सेमेस्टर) हेतु निर्धारित कोर्स का अध्ययन, ऑनर्स अथवा ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा। (तीन वर्ष के पश्चात् विद्यार्थी को प्राप्त अंक का प्रतिशत यदि यदि 75 या उससे अधिक हो तो वह चौथे वर्ष में आनर्स विथ रिसर्च या आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगा। यदि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत 75 से कम है तो वह केवल आनर्स पाठ्यक्रम में ही प्रवेश ले पाएगा।)

प्रश्न 8. क्या विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर – उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम ही संचालित है, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं। परन्तु यदि कोई विद्यार्थी 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तथा परिस्थितिवश किसी कारण (आर्थिक / पारिवारिक या अन्य किसी कारण) से पाठ्यक्रम को एक वर्ष (02 सेमेस्टर) के पश्चात छोड़ना चाहता है तो उस स्थिति में उसे दोनों सेमेस्टर के कुल 40 क्रेडिट अर्जित करते हुए अतिरिक्त 04 क्रेडिट का वोकेशनल / कौशल कोर्स, किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्लेटफार्म से अर्जित करना होगा। कुल 44 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत सर्टिफिकेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि दो वर्ष (04 सेमेस्टर) के पश्चात् छोड़ना चाहता है तो उस स्थित में उसे चारों सेमेस्टर के कुल 80 क्रेडिट अर्जित करते हुए अतिरिक्त 04 और क्रेडिट का वोकेशनल/कौशल कोर्स, किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्लेटफार्म से अर्जित करना होगा। तद्नुसार कुल 84 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जाएगी।

प्रश्न 9. क्या विद्यार्थी के द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के एक एक विषय के DSC का चयन किया जा सकता है?

उत्तर – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्तर्गत संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली के प्रावधानानुसार विद्यार्थी किसी एक संकाय के ही तीन विषय/डिसीप्लीन का चयन कर सकता है। अलग–अलग संकाय से विषय/डिसीप्लीन का चयन करने का प्रावधान नहीं है। अपितु अन्य संकाय से विषय / डिसीप्लीन का चयन GE के रूप में किया जाना है।

प्रश्न 10. क्या विद्यार्थी GE (Generic Elective) में अपनी इच्छानुसार कोई भी विषय का चयन कर सकता है?

उत्तर – वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी अन्य संकाय का उसी विषय मात्र का GE चयन कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय में संचालित है।

प्रश्न.11 क्या कोई विद्यार्थी अन्य महाविद्यालय में संचालित विषय/विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है?

उत्तर – वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी केवल उसी विषय/विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गये महाविद्यालय में उपलब्ध है।

प्रश्न 12. SWAYAM एवं MOOC क्या है?

उत्तर – SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) भारत सरकार का पोर्टल है जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एक नि:शुल्क मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है। MOOC (Massive Open Online Course) एक विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य वेब के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है।

प्रश्न 13. क्या पूर्व की तरह सम्पूर्ण अंक वार्षिक परीक्षा पर ही आधारित हैं?

उत्तर – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में आतंरिक मूल्यांकन पर 30 प्रतिशत अंक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा पर 70 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थियों को आतंरिक परीक्षा एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा दोनों के अंकों को मिलाकर उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रश्न 14. क्या अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए आतंरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है?

उत्तर – सतत् आतंरिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंत सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जायेंगे। अत: सतत् आतंरिक मूल्यंकन में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

प्रश्न 15. सतत् आतंरिक मूल्यांकन में कितने आतंरिक परीक्षाएं होंगी और क्या सभी का अंक सेमेस्टर परीक्षा के अंक के साथ जुड़ेगा?

उत्तर – वर्तमान में प्रयुक्त प्रावधानानुसार प्रति सेमेस्टर प्रति कोर्स के सतत् आतंरिक मूल्यंकन (CIA) अन्तर्गत दो टेस्ट/क्विज परीक्षा एवं एक एसाईनमेंट होगी। दो टेस्ट/क्विज परीक्षा में प्राप्त बेहतर अंक तथा एसाईनमेंट में प्राप्त अंक का योग सेमेस्टर परीक्षा के अंको के साथ जोड़ा जाएगा।

उदाहरणार्थ 100 अंक का कोर्स में 30 अंक सतत् आतंरिक मूल्यंकन (CIA) के लिए निर्धारित है, जहाँ 20–20 अंक का दो टेस्ट / क्विज परीक्षा होगी तथा 10 अंक का एसाईनमेंट दिया जायेगा। यदि प्रथम टेस्ट / क्विज परीक्षा में 12 अंक, द्वितीय टेस्ट / क्विज परीक्षा में 17 अंक तथा एसाईनमेंट में 08 अंक प्राप्त होती है तो 17) 08 = 25 अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जायेगा।

प्रश्न.16. क्या विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर – विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है परंतु उसे

सतत् आतंरिक मूल्यंकन (CIA) में संम्मिलित होना तथा अंत सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षा फार्म जमा कर अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। कतिपय कारणवश विद्यार्थी अंत सेमेस्टर परीक्षा में अंशत: या पूर्णत: उपस्थित नहीं होता है अथवा पूर्णत: उपस्थित होकर अंशत: या पूर्णत: क्रेडिट अर्जित करता है तो भी वह द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

प्रश्न. 17 क्या विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर - नहीं, विद्यार्थी को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट का 50: क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है। अर्थात तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट 40 में से न्यूनतम 20 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है।

प्रश्न. 18 क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सत्र 2024-25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी लागू होगी?

उत्तर - सत्र 2024-25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है। आगामी सत्रों से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की जायेगी।

प्रश्न. 19. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त प्रावधान स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे?

उत्तर - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का आंशिक रूपांतरित प्रारूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर लागू होंगे। स्वध्यायी विद्यार्थी पूर्ववत स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करेगे परन्तु आरम्भ में हीं पंजीयन / नामांकन कराना होगा तथा निर्धारित अवधि अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय में, जिसमे वह पंजीबद्ध हुआ है, निर्धारित योजना अनुरूप सतत् आतंरिक मूल्यंकन (CIA) में सम्मिलित होना होगा।

प्रश्न, 20. क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा ?

उत्तर - उल्लेखित है कि विगत सत्र तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा स्वेच्छिक महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन भरा जाता रहा है। वर्तमान प्रावधानानुसार सत्रारम्भ में (माह अगस्त-सितम्बर) स्वध्यायी विद्यार्थियों को स्वेच्छिक महाविद्यालय द्वारा पंजीयन / नामांकन कार्य पूर्ण करना होगा। पून: विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचनानुसार परीक्षा आवेदन पूर्ववत भरा जायेगा।

प्रश्न. 21. क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों का भी सतत् आतंरिक मूल्यांकन (CIA) होगा ?

उत्तर - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के पालनार्थ स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी सतत् आतंरिक मूल्यांकन (CIA) में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसका स्वरूप/कार्य योजना विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय द्वारा सूचित किया जायेगा ।

उच्च शिक्षा से सम्बद्ध समस्त हितग्राहियों से अपील है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्तर्गत सत्र 2024-25 से देश में संचालित 3/4 वर्षीय स्नातक पाठ्क्रम सम्बन्धित कोई प्रश्न/जिज्ञासा अथवा शंका हो तो ई-मेल nepcg2020@gmail.com **अथवा** Whatsapp No. 8982616484 **पर विषय** "FAQ NEP 2020" **लिख कर प्रेषित करने का कष्ट करें।**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय में उपलब्ध विषय समूह की सूची

विषय चयन संबंधी निर्देश:

सत्र 2025–26 के लिए पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार, छात्रों को निम्नलिखित 6 विषयों का चयन करना अनिवार्य है:

I. प्रथम सेमेस्टर (First Semester) में विषय संरचना निम्नानुसार होगी :

1. तीन (3) अनिवार्य विषय – Discipline Specific Courses (DSC)
2. एक (1) एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स – Ability Enhancement Course (AEC)
3. एक (1) वैकल्पिक विषय – Generic Elective (GE)
4. एक (1) पूरक विषय – Value Added Course (VAC)

इस प्रकार कुल 6 विषय होंगे: 3 DSC + 1 AEC + 1 GE + 1 VAC = कुल 6 विषय

नोट :

- **GE विषय चयनः छात्रों को अपने संकाय (Faculty) के GE Pool (समूह) से कोई एक GE विषय का चयन करना होगा।**
- **VAC विषय चयन : Value Added Course (VAC) का चयन कॉलेज द्वारा संचालित VAC Pool (समूह) से करना होगा।**

II. द्वितीय सेमेस्टर (Second Semester) में विषय संरचना निम्नानुसार होगी :

1. तीन विषय – Discipline Specific Courses (DSC)
2. एक विषय – Ability Enhancement Course (AEC)
3. एक विषय – Generic Elective (GE)
4. एक विषय – Skill Enhancement Course (SEC)

अतः द्वितीय सेमेस्टर में कुल 6 विषय होंगे: **3 DSC + 1 AEC + 1 GE + 1 SEC** = कुल 6 विषय

नोट :

प्रथम सेमेस्टर में जहाँ VAC (Value Added Course) होता है, उसके स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर में SEC (Skill Enhancement Course) रहेगा।

प्रथम सेमेस्टर				
क्र.	पाठ्यक्रम	DSC	AEC	जनरल इलेक्टिव-GE
1.	बी.ए.	1. राजनीति विज्ञान 2. अर्धशास्त्र 3. समाजशास्त्र	हिन्दी भाषा	1. व्यावसायिक सन्नियम, 2. Life on Earth & unique Attributes of Animal kingdom 3. Elementary Botany
2.	बी.एस.सी.(बायो)	1. प्राणी शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. वनस्पति शास्त्र	अंग्रेजी भाषा	1. Basics of Economics 2. Introduction to Sociology 3. Introduction fo Public Administration 4. व्यावसायिक सन्नियम,
3.	बी.एसी.सी.(मैथ्स)	1. रसायन शास्त्र 2. भौतिक विज्ञान 3. गणित	अंग्रेजी भाषा	1. Basics of Economics 2. Introduction to Sociology 3. Introduction fo Public Administration 4. व्यावसायिक सन्नियम
4.	बी.कॉम.	1. लेखांकन के मूल तत्व 2. व्यावसायिक सन्नियम 3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र	पर्यावरण अध्ययन	1. Basics of Economics 2. Introduction to Socilogy 3. Introduction fo Public Administration 4. Life on Earth & Unique of Animal Kingdom

❖ सभी विद्यार्थियों को वॅल्यू एडेड कोर्स–VAC समूह (Pool) में महाविद्यालय उपलब्ध विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य है। चयनित विषय उसी सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, अतः विषय का चयन गंभीरतापूर्वक से करें।

द्वितीय सेमेस्टर				
क्र.	पाठ्यक्रम	DSC	AEC	जनरल इलेक्टिव-GE
1.	बी.ए.	1. राजनीति विज्ञान 2. अर्धशास्त्र 3. समाजशास्त्र	पर्यावरण अध्ययन	1. Business Economics 2. Microbes & Thallophyte 3. Cell Biology & Histology
2.	बी.एस.सी.(बायो)	1. प्राणी शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. वनस्पति शास्त्र	हिन्दी भाषा	1. Business Economics 2. Basics of Indian Economics 3. Constitutional Government in India 4. Changing Social Institution in India
3.	बी.एसी.सी.(मैथ्स)	1. रसायन शास्त्र 2. भौतिक विज्ञान 3. गणित	हिन्दी भाषा	1. Business Economics 2. Basics of Indian Economics 3. Constitutional Government in India 4. Changing Social Institution in India
4.	बी.कॉम.	1. व्यावसायिक लेखांकन 2. व्यावसायिक वातावरण 3. व्यावसायिक गणित	अंग्रेजी भाषा	1. Basics of Indian Economics 2. Changing Social Institution in India 3. Constitutional Government in Inda 4. Cell Biological Histology

नोटः

सभी विद्यार्थियों को SEC Pool (समूह) में महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों में से किसी एक विषय एक चयन करना अनिवार्य है। चयनित विषय उसी सत्र में पढ़ाया जाएगा, अतः विषय का चयन गम्भीर्तापूर्ण करें।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी मार्गदर्शक नियम

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी आवश्यक नियम

विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश आवेदन करने के उपरांत तथा जिनके नाम महाविद्यालय की मेरिट सूची में सम्मिलित हैं, वे महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्राओं को निर्धारित प्रवेश आवेदन पत्र (विवरणिका में संलग्न) पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पर छात्रा एवं उसके पिता/पालक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ (Xerox) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। सभी मूल प्रमाण–पत्र (Original Certificates) भी साथ लाना अनिवार्य है, ताकि प्रवेश समिति (Admission Committee) द्वारा उनका सत्यापन (Verification) किया जा सके।

अनिवार्य प्रमाण-पत्र

1 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (T.C.) एवं चरित्र प्रमाण–पत्र (C.C.) की सत्यापित छायाप्रति (चयन सूची में नाम आने पर मूल T.C. व C.C. जमा करना अनिवार्य होगा)

2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति

3 जन्म प्रमाण–पत्र

(इस हेतु हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति मान्य होगी)

4 निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति

5 जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति (यदि लागू हो)

6 तीन (03) पासपोर्ट साइज के नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ

7 गैप प्रमाण–पत्र (यदि अध्ययन में कोई अंतराल हो)

8 विकलांग/निःशक्तजन/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)– सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत

9 प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate)

(यदि आवेदक C.B.S.E. या छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल/छ.ग. के विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य मंडल या विश्वविद्यालय से आया हो)

महत्वपूर्ण निर्देश:

☐ सभी छात्राएँ अपने मूल प्रमाण–पत्र (Originals) के साथ उनके सत्यापित छायाप्रति (Xerox copies) अवश्य लाएँ। प्रवेश समिति द्वारा प्रमाण–पत्रों का सत्यापन (Verification) किया जाएगा।

- ☐ प्रवेश केवल तभी मान्य होगा जब सभी वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा कर दिया जायेगा।
- ☐ अपूर्ण आवेदन–पत्र अथवा बिना अपेक्षित प्रमाण–पत्रों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिचय पत्र :-

- ➢ महाविद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश संपन्न होने के उपरांत उसे एक परिचय पत्र प्रदान किया जायेगा। महाविद्यालय की गतिविधियों एवं कार्यक्रम में भाग लेते समय तथा महाविद्यालय में किये जाने वाले समस्त व्यवहारों के समय प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र धारण करना होगा।
- ➢ परिचय पत्र गुम हो जाने पर दूसरा परिचय पत्र पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाकर, प्राप्त प्रमाण के आधार पर 40 रुपये एवं टिकट साईज फोटो जमा करने पर दिया जायेगा।

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम :-

- ☐ छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अधिनियम क्रमांक 7 के अनुसार नियमित छात्रों के विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है अन्यथा उसे परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है।
- ☐ छात्रों को समय–समय पर उनकी उपस्थिति की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को संबंधित प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष से संपर्क साधकर प्राप्त करना होगा।

विश्वविद्यालय नामांकन (नवीन छात्र/छात्राओं अनिवार्य)

- ☐ प्रवेश उपरांत विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु आवेदन पत्र भर छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नामांकन करने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्राओं का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में जमा करना होगा।

शुल्क विनियम :-

1. एक बार किसी छात्रा का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के उपरांत यदि छात्राएं किसी भी परिस्थिति में अपना पाठ्यक्रम परिवर्तन करती है तो पूर्व में जमा की गई शुल्क समायोजित या वापस नहीं की जावेगी।
2. संस्था में अन्य किसी कोर्स में प्रवेश लेने की स्थिति में अधिशेष राशि वापस नहीं की जायेगी।
3. छात्र/छात्राओं को सलाह दी जाती है कि शुल्क जमा करने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें।

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र-2025-26

1. प्रयुक्ति :

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें।

1.2 प्रवेश के नियमों को राजकीय विश्वविद्यालय तथा संबद्ध शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर से है ।

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करना :

विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों को छोड़कर समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिये जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में से महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमानुसार प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण-पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

(स) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष्य में अनिवार्यतानुरूप किसी भी संशोधन / परिवर्धन संबंधित निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(द) विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर ऑनलाईन फार्म जमा कराया जायेगा। स्वशासी महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्ष अर्थात सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित अध्यादेश के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश देने में सक्षम होंगें । (स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं/सेमेस्टर हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस तक) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जायेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगें । कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं पूर्व सेमेस्टर के कोर्सेस/कोर्स क्रेडिट का मिलान करना आवश्यक होगा तथा आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे

प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:-

विधि संकाय के अतिरिक्त वार्षिक प्रणाली अंतर्गत (अंतिम वर्ष में) अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

सेमेस्टर प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना का प्रावधान नहीं है, परन्तु किसी सेमेस्टर के किसी कोर्स विशेष में प्रावधानानुसार निविदत्त मूल्यांकन (Challenged Valuation) द्वारा परिणाम में परिवर्तन होने की स्थिति में सेमेस्टर वार प्रोन्नति नियम (Semesterwise Promotion Rule) के अनुसार आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत होने की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अंतर्गत ही क्रमानुगत सेमेस्टर के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 विश्वविद्यालय / महाविद्यालय अंतर्गत प्रत्येक संकाय में अध्यापन के विषय /विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही आवेदकों को प्रवेश देंगे।

3.4 प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के प्रमुख बिन्दुओं सहित संस्थान्तर्गत संचालित संकायवार निर्धारित विषय समूह की सूची सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिषत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर तत्संबंधित सेमेस्टर / कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/-अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छुट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए ।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो./गणित समूह) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। संकायवार निर्धारित विषय समूह के अनुरूप हीं प्रवेश दिया जायेगा।

ख. स्नातक स्तर पर प्रत्येक सम सेमेस्टर (द्वितीय / चतुर्थ / षष्टम / अष्टम) में प्रवेश नवीनीकरण तथा विषम सेमेस्टर (तृतीय /पंचम / सप्तम) में नियमित प्रवेश की पात्रता संबंधित अध्यादेश / विनियम में उल्लेखित प्रोन्नत्ती नियम (Promotion Rule) के अनुसार ही होगी तथा किसी सेमेस्टर में विषय परिवर्तन की पात्रता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप ही होगी ।

ग. स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के सप्तम में नियमित प्रवेश संबंधित अध्यादेश / विनियम के प्रावधानानुसार दिया जायेगा।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

क. बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ एम.एस.-सी (गृहविज्ञान)/एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.-सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर - भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में सकाय की स्थिति में सबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान

/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

ख. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर के क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण तथा द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्र तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित प्रोन्नति नियम (Promotion Rule) के अनुसार ही होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु -

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर सेमेस्टर में बैकलॉग कोर्स संबंधित / सेमेस्टरवार प्रोन्नति नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
3. स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तीन वर्ष के बाद एक्जिट होने वाले विद्यार्थी को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

घ. बी.ए. एल.एल.बी./ बी.कॉम एल.एल.बी. पाठ्यक्रम की कक्षाओं में प्रवेश बार कौंसिल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

"विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत होगी । तथा विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी. हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगें ।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा ।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य

संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार -

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है । जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से संबंध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे है । ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगें । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली अंतर्गत बी.ए./बी.कॉम/बी.एस-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि. में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष परीक्षा (वार्षिक प्रणाली हेतु) अथवा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित सेमेस्टर में क्रेडिट स्थनान्तरण के प्रावधान संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जायेगा। तद्नुसार स्नातक के तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाना कोर्स मिलान एवं क्रेडिट स्थानान्तरण पर आधारित होगा तथा सम्तम सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश / विनियम में प्रावधानित नियमानुसार दिया जायेगा।

7.4 वार्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु - विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 वार्षिक प्रणाली अंतर्गत शेष वर्ष हेतु स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को

अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में बैकलॉग परिणाम वाले आवेदकों को अगली सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय के अध्यादेश / विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नही होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा। (वार्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु लागू)

9. प्रवेश हेतु अर्हताऐं :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि.शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी सत्र / सत्रों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु अन्य संकायों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है अथवा स्वध्यायी विद्यार्थी के रूप में उसी संकाय में पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है, यदि वह कंडिका 9.2 एवं 9.3 के परिधि में शामिल न हो।

यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो /या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/ चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा :-

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है ।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायो के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु स्वध्यायी विद्यार्थी के रूप में अन्य संकाय में स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है, यदि वह कण्डिका 9.2 एवं 9.3 के परिधि में शामिल न हो।

9.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप स्नातक स्तर पर स्वध्यायी विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (तृतीय / पंचम / सप्तम) में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जायेगा ।

9.8 विदेशी नागरिकता अथवा विदेशी विश्वविद्यालय / बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी को प्रवेश प्रदान करने के संबंध में यू.जी.सी. द्वारा जारी प्रावधानों / नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता निर्धारण नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जवेगी ।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा । यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार संचालित 3/4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अंतर्गत अगली कक्षाओं / सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश / विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगा तथापित प्राथमिकता नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 स्नातक स्तर के 3/4 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति / अन्य पीछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित सीटे पात्र विद्यार्थियों के अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है तो इस विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहॉ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा ।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र-पौत्रियों और नाती/नातीन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें । निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छुट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointements." का कड़ाई से पालन किया जाये ।

टीप :- अवर सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 13-1/2023/आ.प्रा./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए-सर्टिफिकेट	- 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	- 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	- 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	- 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	- 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट	- 10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	- 10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडैट/ एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	- 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर – 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को – 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को – 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग.शासन/म.प्र.से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में-

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/ स्पोटर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं / सेमेस्टर में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकीं उन्हें पात्रता है कि-

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक तृतीय / पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति

महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अकादमिक कलेण्डर में निर्धारित सतत आंतरिक मूल्यांकन के प्रथम चरण के पूर्व दिनांक तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी-एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. अध्यादेश / विनियम / अधिनियम के अनुरूप रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुये लागू होगा।

16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन /निरसन/संलग्न / शुद्धीकरण का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कन्या महाविद्यालय तखतपुर
जिला-बिलासपुर छ.ग.)
आचरण–संहिता

छात्राओं के लिए आचरण के सामान्य निर्देश :

महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरांत प्रत्येक छात्रा से यह अपेक्षित है कि वह महाविद्यालय के नियमों एवं शिष्टाचार का पालन करें। अनुशासनहीनता, अशिष्ट व्यवहार अथवा विधि विरूद्ध आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। महाविद्यालय परिसर में सकारात्मक, सुरक्षित एवं सुसंस्कृत शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना प्रत्येक छात्रा का उत्तरदायित्व है।

1. सामान्य आचरण के नियम :

1. छात्राएं महाविद्यालय परिसर में **शालीन वेशभूषा** एवं गरिमामय आचरण बनाए रखेंगी।
2. महाविद्यालय के **सभी नियमों, निर्देशों एवं समय-सारणी** का पालन करना अनिवार्य है।
3. महाविद्यालय में **शिष्ट भाषा एवं सम्मानजनक व्यवहार** अपेक्षित है, अपशब्द, अश्लीलता पूर्णत: वर्जित है।
4. छात्राएं महाविद्यालय की **संपत्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला उपकरण** आदि का संरक्षण एवं उचित उपयोग करेंगी।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं हरित बनाए रखने में योगदान देना प्रत्येक छात्रा का नैतिक कर्तव्य होगा।
6. छात्राएं **शिक्षकों, कर्मचारियों एवं सहपाठियों के प्रति सम्मान एवं सौहाद्रपूर्ण व्यवहार** रखेंगी।
7. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन, धुम्रपान अथवा नशीली वस्तुएं लाना/प्रयोग करना सख्त वर्जित है।
8. छात्राएं **रैगिंग, छेड़खानी, हिंसा, धमकी, धमकाने वाले व्यवहार** अथवा किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगी।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग **केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए, अनुमति प्राप्त स्थिति में ही** किया जा सकेगा।

2. शैक्षणिक एवं अध्ययन संबधी नियम :

1. प्रत्येक छात्रा के लिए न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा मुख्य (छैमाही) परीक्षा में बैठने की अनुमति नही होगी।
2. **प्रयोगशाला उपकरणों एवं पुस्तकालय पुस्तकों** का उपयोग सतर्कता एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा।
3. परीक्षा में किसी भी प्रकार के **अनुचित साधन (Unfair Means) का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध** है।
4. अध्ययन से संबंधित कोई समस्या होने पर छात्राएं **शांतिपूर्वक विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के समक्ष आवेदन** प्रस्तुत करेंगी।
5. **वाचनालय, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं में संपत्ति को क्षति पहुंचाना** दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

3. महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :

1. अनुशासनहीनता अथवा **गंभीर अपराधों में संलिप्त पाये जाने पर छात्रा का प्रवेश निरस्त** किया जा सकता है।
2. **रैगिंग, छेड़खानी, अनुचित आचरण में दोषी पाये जाने पर** प्रवेश निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं
3. किसी भी प्रकार की **गलत जानकारी/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर** प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
4. प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर **अभिभावक/पालक के हस्ताक्षर** अनिवार्य होंगे।

नोट :-

- **महाविद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेश लेने के पश्चात यह आचरण-संहिता छात्राओं पर स्वतः लागू होगी।**
- **इसका उल्लंघन करने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।**

महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून

1. कार्यालय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप व्यवहार आवश्यक हैं ।
2. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, जो असहज यौन भावना से प्रेरित हो।
3. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयास।
4. यौन अनुग्रह की मांग।
5. यौन अर्थ से रंजित फब्तियाँ।
6. अश्लील चित्र दिखाना।
7. कोई अन्य अरुचिकर यौन भाव वाला शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक संपर्क।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये।
9. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी, धमकी देकर किया जाये।
10. ऐसा यौन उत्पीड़न जो देश या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जाये।
11. छेड़खानी करना।
12. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करने का प्रयास करना।
13. भद्दा मजाक करना।
14. फोन पर अश्लील बातचीत करना।
15. इच्छा के विरुद्ध करना, उसकी निजता का उल्लंघन करना।
16. किसी भी प्रकार की ज्यादती करना।

आदि संबंधी अपराध होने पर प्रमुख निकटस्थ पुलिस थाना, महिला थाना तथा राज्य महिला आयोग को सूचित करें।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिये विशेष परिनियम :

1. यह विशेष विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा है ।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगें । परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा ।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा :
   - अ. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना ।
   - ब. मानसिक आघात जैसे मानसिक कलेश पहुंचाना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना ।
   - स. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना ।
   - द. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना-चिल्लाना आदि।
4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा । ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्राक्टोरियल बोर्ड को सौंपेंगे । इसमें चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगें। इस हेतु प्राक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहूत की जायेगी । बैठक की सूचना, सूचना बोर्ड में मनोनीत वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी । यह वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी । यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगें ।
5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगें ।
6. प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगें । दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा ।
   1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन ।
   2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या/एवं विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक ।
   3. दोषी छात्र को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा । यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा ।
   4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने के पूर्ण अधिकार होंगें और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा ।
   5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा ।
   6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्रा द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस की सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा ।

      इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आवश्यक होगा ।